



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, Email- bseapatna@gmail.com, वेबसाइट : https://bsea.bihar.gov.in

पत्रांक : नि० प्रा०/नि० 1-14/2024 2028
प्रेषक,

/पटना, दिनांक 13/11/2024

पुरुषोत्तम पासवान, भा०प्र०से०
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०),
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)।

विषय : बिहार राज्य के इतर प्राधिकार के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के अनुमान्यता के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) निर्वाचन, 2024 के दौरान कतिपय निर्वाचन पदाधिकारियों (स०स०) द्वारा पृच्छा की जा रही है कि दूसरे राज्य अथवा देश से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर पैक्स निर्वाचन में आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है या नहीं ?

उक्त के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 17644 दिनांक 27.12.2019 द्वारा सूचित किया गया है कि “बिहार राज्य के अधीन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकृत प्राधिकारों से इतर किसी अन्य प्राधिकार यथा- नेपाल अथवा झारखण्ड राज्य से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा अनुमान्य नहीं है।” इस प्रसंग में बिहार अधिनियम-15, 2003 की प्रति भी संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि सहकारी समितियों के निर्वाचन में आरक्षित पदों पर होने वाले नामांकन के संबंध में उक्त के आलोक में आरक्षण का अनुपालन किया जाय।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन

(पुरुषोत्तम पासवान)

सचिव।

ज्ञापांक: 2028

/पटना, दिनांक 13/11/2024

प्रतिलिपि: सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

1218

पत्र संख्या-11/आ0-विविध-12/2018 सा0प्र0.17644

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रपंक,
3.1.2020
सेवा में,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

संयुक्त सचिव,
बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

3/1/2020

पटना-15, दिनांक-27.12.19

विषय :- बिहार राज्य से इतर प्राधिकार के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के अनुमान्यता के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पत्रांक-2171 दिनांक-04.12.2019 एवं पत्रांक-2196 दिनांक-06.12.2019 द्वारा क्रमशः नेपाल एवं झारखंड से निर्गत जाति प्रमाण पत्र की अनुमान्यता के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गई है।

उल्लेखनीय है कि बिहार अधिनियम-15, 2003 द्वारा बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम की कंडिका-3 में किया गया प्रावधान निम्नवत् है-

'परन्तु और कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।'

इस प्रकार स्पष्ट है कि बिहार राज्य के बाहर के निवासियों का आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है। सुलभ प्रसंग हेतु बिहार अधिनियम-15, 2003 की छायाप्रति संलग्न है।

अतएव बिहार राज्य के अधीन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकृत प्राधिकारों से इतर किसी अन्य प्राधिकार यथा- नेपाल अथवा झारखण्ड राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा अनुमान्य नहीं है।

अनु० यथोक्त।

विश्वासभाजन

27.12.19

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

11/1/20

13
03/01/2020

6. बिहार अधिनियम, 15, 2003 (मूल)

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिये) (संशोधन) अधिनियम, 2003

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम 3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिये अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ-

(1) यह नियम बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) इस अधिनियम की धारा-2 दिनांक 1 अप्रैल, 2000 तथा धारा 3 एवं 4, दिनांक 11 जून 1992 के प्रस्ताव में प्रवृत्त होंगी ।

2. बिहार अधिनियम-3, 1992 की धारा-3 का संशोधन :-बिहार अधिनियम-3, 1992 की धारा-3 के खंड (ड) के बाद निम्नलिखित नया खंड "च" जोड़ा जायेगा, तथा-

(च) "आतंकवादी/जार्जियन अनबन या सांप्रदायिक दंगा/निर्वाचन संबंधी हिंसा/अन्य हिंसक घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियाँ ।"

3. बिहार अधिनियम-3, 1992 के धारा-4 का संशोधन -- निम्नलिखित तीसरा परन्तुक उक्त अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा (2) में जोड़ा जायेगा :-

"परन्तु और कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे ।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से.

ह०/-

(राजेश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

(217)

Bihar Act 15, 2003

**THE BIHAR RESERVATION OF VACANCIES IN POSTS AND SERVICES
FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHERS BACKWARD
CLASSES) (AMENDMENT) ACT, 2003.**

AN

ACT

**TO AMEND THE BIHAR RESERVATION OF VACANCIES IN POSTS AND
SERVICES (FOR SCHEDULED CLASSES, SCHEDULED TRIBES AND
OTHER BACKWARD CLASSES) ACT, 1991 (BIHAR ACT-3, 1992) (AS
AMENDED FROM TIME TO TIME).**

BE, it enacted by the Legislature of the state of the state of Bihar in the fifty-fourth year of the Republic of India as follows: -

1. Short title extent and commencement. (1) This act may be called in Bihar Reservation of vacancies in posts and services (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) (Amendment) Act, 2003.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) Section-2 of this Act shall come into force with effect from 1st April 1990 and section 3 and 4 with effect from 11th June, 1996.

2. Amendment of Section-3 of Bihar Act, 3, 1992-The following new clause (f) shall be added after clause (e) of Section-3 of Bihar Act-3, 1992 namely: -

" (f) Appointment on compassionate ground of the dependants of the persons killed in incidents of Terrorism/extremist/Cast antagonism and communal violence/Electoral violence/Massacre other incidents of violence."

3. Amendment of Section-4 of Bihar Act, 3, 1992-The following third proviso shall be added to sub-section (2) of section-4 of the said Act.

"Provided further that the candidates residing out of the State of Bihar shall not claim for benefits of reservation under this Act."

4. Repeal and savings- (1) All such orders/Resolutions/Circulars/Provisions of any Act which are inconsistent to this amendment Act shall be deemed to be repealed to this extent.

(2) Notwithstanding such repeal under sub-section (1) of this section, anything done or any action taken according to letter no. 70, dated the 11th June, 1996

(216)

76

shall be deemed legal, as if this Act were in force on the day which letter no. 70, dated the 11th June, 1996 was in force.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(राजेश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव ।
